

नई दिल्ली, 24 जून, 1977

New Delhi, the 24th June, 1977

सं० का० वि० 821.—चाय नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए कनिष्ठ नियमों का प्रत्येक चाय अधिनियम, 1953 (1954 का 28) की धारा 44 की उपधारा (1) की प्रवृत्तियों, भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (i) तारीख 25 सितम्बर, 1976 में पृष्ठ 2439 और 2440 पर, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०का०वि० 1371, तारीख 8 सितम्बर, 1976 के साथ प्रकाशित किया गया था। जिसमें उक्त प्रसारित होने वाले सभी व्यक्तियों ने राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से पैनलिंग दिने के भीतर आपत्ति और सुझाव माते गये थे।

और किंग राजपत्र में उक्त अधिसूचना जपी थी वही 25 सितम्बर, 1976 को प्रकाशित हुआ था।

और उक्त राजपत्र 28 सितम्बर, 1976 को जनता की उपस्थिति करा दिया गया।

और जनता में प्राप्त आलोचना और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार चाय नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने के, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का नाम चाय (संशोधन) नियम, 1977 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. चाय नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) में, और (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(3) ऐसे अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग का, जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, प्रतिनिधित्व करने वाले हो शक्ति”

{सं० ई० 12012(1)/74-प्लान्ट (क)}

श्रीमती कोमल आनन्द, डी. सेक्य

G.S.R. 921.—Whereas a draft of certain rules further to amend the Tea Rules, 1954 was published, as required by sub-section (1) of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), at pages 2439 and 2440 of the Gazette of India Part II Section (3) Sub-section (i), dated the 25th September, 1976 with the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce No. G.S.R. 1374 dated the 8th September, 1976 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty five days from the date of publication of the Official Gazette containing the said notification;

And whereas, the said Gazette containing the said notification was published on the 25th September, 1976;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on 29th September, 1976;

And whereas, no objection or suggestion has been received from the public in this regard by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 49 of the aforesaid Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tea Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Tea (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In sub-rule (1) of rule 4 of the Tea Rules, 1954, for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:—

“(h) two persons representing such other persons or class of persons, who, in the opinion of the Central Government, ought to be represented on the Board.”

[No. E. 12012(1)/74-Plant(A)]

MRS. KOMAL ANAND, Dy. Secy.